


06^S/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उपस्थित।
मूल वाद पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि
प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में विभाजन
बाबत प्राथमिक डिक्री वर्ष 2021 में जारी हो
चुकी है। इस दौरान पार्थी अधिवक्ता द्वारा भी
कोई ऐसा तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह
साबित हो कि वर्तमान में भी T.I. पार्थी पत्र
की आवश्यकता है। लिहाजा इस स्टेज पर
अस्थायी निवेदाज्ञा के पार्थी पत्र की आवश्यकता
तथा औचित्य नहीं होने से T.I. पार्थी पत्र
खारिज की जाती है। पत्रावली ~~का~~ क्रमल शुमार
होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली